न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय संख्या 05
विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट, बागपत।
उपस्थितः कृष्ण कुमार सिंह, एच 0 जे0 एस 0
जे.ओ. कोड–यू0 पी0 6386

UPBG010052122022

Bail Application/2408/2022

1. वासुदेव पुत्र श्री इन्द्रपाल
2. फरमान पुत्र शरीफ, निवासीगण पटटी मादान, कस्बा दोघट, थाना दोघट, जिला बागपत।

प्रार्थी/अभियुक्तगण।

बनाम

1. उ 0 प्र 0 राज्य

अभियोजक।

मु०अ०सं०–258/22
धारा–457, 380, 411 भा०दं०सं०
थाना–दोघट, जिला–बागपत।

दिनांक 20–10–2022

प्रार्थी/अभियुक्तगण **वासुदेव व फरमान** की ओर से उपरोक्त मामलें में अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से जमानत हेतु प्रथम प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा जितेन्द्र ने थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय से दर्ज करायी किगॉव मौजिजाबाद नांगल में नुआई मंदिर (पंडितो बाला मंदिर) में बने महात्मा आवास के उपरी मंजिल पर बने कमरे की दीवार में कुम्बल करके कमरे में रखा रेडियो सेट, बडा बैटरा इनवरटर, बर्तन, पीतल का घंटा सभी सामान अज्ञात चोरों ने चोरी कर लिया है। वादी की तहरीर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात अभियुक्तगण के विरूद्ध दर्ज की गयी। विवेचना के दौरान अभियुक्त वासुदेव से बैटरा व फरमान से घंटा बरामद हुआ है।

जमानत प्रार्थनापत्र में यह कथन किया गया है कि वह निर्दोष है, उन्हें झूॅठा फंसाया गया है। अभियुक्तगण ने कोई चोरी नहीं की है। नामजद एफ०आई०आर० नहीं है। वे मजदूरी का काम करके घर आये थे, पुलिस ने घर से उठाकर इस मामले में झूॅठा संलिप्त किया है। बरामदगी फर्जी दिखायी गयी है। वह पूर्व सजायाफता नही है। घटना / बरामदगी का कोई जनसाक्षी नहीं है। अभियुक्तगण दिनांक 01–10–2022 से कारागार में है। निवेदन किया कि जमानत प्रदान की जाये।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी ने जमानत का विरोध किया।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण पर बैटरी, पीतल का घंटा, इन्वर्टर चोरी करने का अभियोग है। दौरान विवेचना अभियुक्त वासुदेव के कब्जे से बैटरा व फरमान के कब्जे से दो कि०ग्रा० का घंटा बरामद होना कहा गया है। कथित बरामदगी का कोई जनसाक्षी नहीं है। अभियुक्तगण दिनांक 01–10–2022 से कारागार में बन्द हैं। प्रकरण के गुण दोष पर टिप्पणी न करते हुये मामले के तथ्यों व परिस्थितियों में अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने के पर्याप्त आधार हैं।

अभियुक्तगण द्वारा अंकन पचास–पचास हजार रूपये का निजी मुचलका व समान धनराशि की दो–दो जमानतें दाखिल करने पर उन्हें सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि पर जमानत पर रिहा किया जाए।

(कृष्ण कुमार सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय संख्या–05
विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट, बागपत।